अव्यवस्था

3 बच्चे ,1गुरुजी ,इटावा ढाना के सरकारी स्कुल में बजट की बर्बादी , मिडिल स्कूल पहले ही हो चुका है ताला बंद

शासकीय स्कूल के बच्चों का भविष्य दाव पर

हाजरी लगाकर खेत जाता है शिक्षक

गांव के कुछ लोगो ने नाम न छापने की शर्त पर एक बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है .ग्रामीणो के अनुसार स्कुल मे पदस्थ शिक्षक का खेत स्कुल से महज डेढ किमी दुरी पर है .शिक्षक स्कुल आकर केवल औपचारिकता के लिए आनलाइन हाजरी लगाता है और खेत चला जाता है , यही कारण है कि पिछले 3 वर्षो से स्कुल में केवल 3 बच्चे है।

शा. प्रा. शाला इटावा ढाना में 3 छात्रों पर 1 शिक्षक, शिक्षक को पढ़ाने में रुचि नहीं - प्रतीकात्मक तसवीर

गांव में बच्चे है , लेकिन अव्यवस्था के कारण दुसरे गांव जाते है पढने

इस पुरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलु यह है कि इटावा ढाना में बच्चो की कमी नही है, ग्रामीणो के अनुसार गांव में स्कुल जाने योग्य कइ बच्चे मौजुद है, लेकीन के लचर व्यवस्था और मिडिल स्कुल के बंद हो जाने के कारण पालको का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ गया है , बेहतर भविष्य के लिऐ ग्रामीण अपने बच्चो को खुद की जेब से पैसा खर्च कर नजदिकी गांवो में भेजने को मजबुर है, यदी विभाग इस स्कुल की व्यवस्था सुधारती तो बच्चो को पलायन नही करना पडता .

रिश्तेदारी के दबाव में पिस रहा बच्चो का भविष्य

गांव के इस स्कुल की दुर्दशा के पिछे एक बडा सामाजिक कारण भी सामने आया है , दरअसल स्कुल में पदस्थ गुरजी गांव के ही कुछ लोगो का करिबी रिश्तेदार है ,ग्रामीण परिवेश में आपसी भाईचारा और परिवारिक रिश्तो के बिगडने के भय से लोग गुरुजी की लापरवाही या स्कुल की बदहाली की शिकायत आला अधिकारीयो से करने की हिम्मत नही जुटा पाते, इसी सामाजिक दबाव और भय का खामियाजा गांव के मासुम बच्चो को भुगतना पड रहा है जिनकी पढ़ाई पुरी तरह चौपट । हो चुकी है .

नवभारत न्यूज

मारुड (पांढुरना) नवगठित पांडुरना जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक ऐसा कडवा सच सामने आया है जहा सरकारी शिक्षा व्यवस्था पुरी तरह आई सी यु में पहुच चुकी है .मिली जानकारी के अनुसार पांढुरना विकास खंड के शा प्रा शाला इटावा ढाना में पिछले 3 साल से केवल 3 छात्र नामांकित है जिन्हे पढाने के लिए एक पुर्णकालिक शिक्षक तैनात है .चौकाने वाली बात यह है की इस गांव का सरकारी मिडिल स्कुल छात्रो की कमी के कारण पहले ही बंद हो चुका है , लेकीन इस शाला को अब तक बंद या मर्ज करने की जहमत विभाग ने नही उठाई है.

सालाना लाखों के बजट की खुली बर्बादी

तीन बच्चो के इस स्कुल को जिंदा रखने के नाम पर हर साल सरकारी खजाने से लाखो रुपऐ फुके जा रहे है, शिक्षक की भारी भरकम सैलरी के अलावा यहा हर महीने मध्यान्ह भोजन के नाम पर बकायदा राशन और बजट अलॉट हो रहा है , स्कुल के रख रखाव और अन्य सरकारी फंडस की यह बर्बादी उस जिले में हो रही है जहां कई स्कुल बिना टाट -पट्टी के और जर्जर भवनो मे चल रहे है.

। ग्रामीण गुस्से मे , यह सिर्फ कागजी स्कुल है: गांव के जागरुक नागरिको ने शिक्षा व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए है उनका कहना है कि जब स्कुल मे पर्याप्त बच्चे ही नही है और यहा का मिडिल स्कूल तक बंद हो गया है तो इस प्राथमिक शाला को सिर्फ एक शिक्षक को आराम देने के लिऐ क्यो चलाया जा रहा है? इन तीन बच्चो को पास इटावा के स्कुल में शिप्ट कर इस शिक्षक को वहा भेजना चाहिए जहा वास्तव मे शिक्षको की कमी है, क्या यह जनता के टैक्स के पैसे की खुली बर्बादी नही है ?

बच्चो को सौ तक गिनती और अपना नाम भी लिखना नही आता

कक्षा 3 री और 4 थी के इन 3 बच्चो को सौ तक गीनती और हिंदी में अपना नाम तक लिखना नही आता है, जब प्राथमिक स्तर के बच्चो को बुनियादी अक्षर और अंको का ज्ञान ही नही है तो उनके भविष्य का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, यह स्थिति स्कुल में हो रही पढ़ाई के स्तर पर भी गंभीर सवाल खडे करती है .

भर्ति से लेकर आज तक एक ही जगह पदस्थ है गुरुजी

इस पुरे मामले में एक और चौकाने वाला प्रशासनिक पहलु सामने आया है स्कुल में पदस्थ इकलौते शिक्षक मुल रुप से इसी ग्राम पंचायत ईटावा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिछवा कला के मुल निवासी है , करिब 20 वर्ष पहले ग्राम पंचायत द्वारा राजीव शिक्षा गॉरंटी योजना के तहत गुरुजी के रुप में उसकी भर्ती की गई थी, भर्ती के बाद से लेकर आज तक पिछले दो दशको से यह शिक्षक इसी एक जगह पर पदस्थ है, इतने लंबे समय से एक ही स्कुल में पदस्थ रहने और विभाग द्वारा कोई प्रशासनिक फेरबदल या स्थानांतरण न किए जाने को लेकर भी सवाल उठने लगे है। इस गंभीर विसंगति और बजट की बर्बादी को लेकर बी ई ओ से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नही हो सका ,यह मामला साफ तौर पर प्रशासनिक नाकामी को उजागर करता है , देखना होगा की इस खबर के बाद जिला प्रशासन जागता है या सरकारी पैसे की बर्बादी यु ही जारी रहती है।

सावन सोमवार पर अर्धनारीश्वर मंदिर के लिये निकली भव्य कावड यात्रा

नन्हें प्रणव कुलदीप गवनेकर बने कावड यात्री, शिवभक्ति में रंगा माहौल

नवभारत न्यूज़

सौंसर 18 अगस्त. पवित्र सावन सोमवार के अवसर पर भगवान शिव की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत अर्धनारीष्वर मंदिर मोहगांव के लिये भव्य कावड यात्रा निकाली गई। कावड यात्रियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र जल लेकर भगवान षिव के जलाभिषेक के लिये मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान हर-हर महादेव, बम-बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कावड यात्रा में नन्हें प्रणव कुलदीप गवनेकर भी कावड यात्री के रूप में शामिल हुये। छोटी उम्र में भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा और उत्साह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नन्हे प्रणव की कावड यात्रा में सहभागिता ने यह संदेश दिया कि, सनातन परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही किया जाये तो आनेवाली पीढियां अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत से जुडी रहती है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन सोमवार का विषेष अध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि, इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मन को शांति मिलती है तथा भक्त की आस्था और संकल्प को आयात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कावड यात्रा केवल पवित्र जल लाने की यात्रा नही, बल्कि संयम, सेवा, श्रद्धा और संकल्प साना भी मानी जाती है। कावड को कंधे पर लेकर श्रद्धालुओं का पैदल मंदिर तक पहुचना त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है।

निर्माण ढहाने के लिए पेश करें अंतिम और ठोस प्रस्ताव

हाई कोर्ट की महानगर पालिका को सख्त चेतावनी

नागपुर. पूनम टावर्स और पूनम चेंबर्स में हुए अवैध निर्माण को लेकर पूर्व पार्षद विजय बाभरे की ओर से याचिका दायर की गई. जिस पर गत समय हुई सुनवाई के दौरान मनपा ने इन दोनों का अवैध निर्माण हटाने का आश्वासन देते हुए दोनों इकाईयों के मालिक को नोटिस जारी किया था. जिसे चुनौती देते हुए कुमार होटल्स के मालिक एन.कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार मनपा की ओर से पूनम टावर्स का अनधिकृत निर्माण तो तोडा गया, किंतु पूनम चेंबर्स का कुछ हिस्सा बचा रहा. जिसके लिए अब न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने मनपा की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. अदालत ने ढांचे को ढहाने के मामले में मनपा से एक ऐसा %ठोस प्रस्ताव% पेश करने को कहा है, जिसमें भविष्य में समय-सीमा बढ़ाने की कोई गुंजाइश न बचे.

6 माह पूर्व ढहाने के दिए थे आदेश: उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस मामले में पहली बार 10 फरवरी 2026 को संबंधित ढांचे को हटाने या ढहाने का आदेश पारित किया था. इसके बाद भी कई आदेश दिए गए, जिनमें से पिछला आदेश 17 जून 2026 को जारी किया गया था. 18 अगस्त को यह मामला 17 जून के आदेश के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए अदालत में सूचीबद्ध किया गया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था. वहीं, मनपा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जेमीनी कासट ने ढांचे को गिराने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की.

स्कूल टाइमिंग में परिवर्तन से बच्चों की पढ़ाई तथा स्वास्थ्य पर पड़ रहा विपरीत असर

नाराज अभिभावकों ने पूर्ववत टाइमिंग कराने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज,

पांढुरना,18अगस्त, प्रशासन के दबाव में मजबूरन स्कूल संचालकों द्वारा टाइमिंग में किए गए परिवर्तन के चलते अभिभावकों एवं स्कूल संचालकों में वाद-विवाद तथा तनाव की स्थिती बनते जा रहीं है,जिसे लेकर अब अभिभावकों के विरोध के स्वर मुखर होने लगे है,प्रशासन के इस निर्णय के चलते अभिभावकों को अब सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन करने मजबूर होना पड़ रहा है।

नगर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जागरूक अभिभावकों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्कूल टाइमिंग में किए गए परिवर्तन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ने की बात कहते हुए पूर्व की तरह ही स्कूल का टाइमिंग करने का एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौपा।

दो पाली में स्कूल लगाने के निर्देश : गौरतलब हो कि सदियों से नगर के शासकीय, अर्धशासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के स्कूल लगने तथा छुट्टी होने के भिन्न-भिन्न समय रहा है,जिससे अभिभावकों के साथ ही सभी स्कूल संचालकों,छात्रों के लिए उपयुक्त रहा है,लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत सभी स्कूलों के लगने तथा छुट्टी का समय एक ही करने के फरमान सुना दिया है,जिसके तहत सभी स्कूलों को दो पाली में स्कूल संचालन करना होंगा।

प्रशासन द्वारा जारी किया फरमान

जारी किए गए आदेशों के तहत नर्सरी से लेकर प्राथमिक स्कूल का समय प्रात- 7 :30 बजे से 10 :30 बजे तक तथा कक्षा 6 वी से 12वी तक की कक्षाएं सुबह 10 :40 से 4 :30 बजे तक करने का फरमान सुनाया है।

अभिभावकों एवं स्कूल संचालकों में बढ़ा विवाद

वहीं इस नए स्कूल टाइमिंग से छात्रों तथा अभिभावकों को होने वाली परेशानी को लेकर स्कूल संचालकों से चर्चा भी कि गई, लेकिन यह निर्णय प्रशासन का होने की बात कहते हुए स्कूल संचालकों द्वारा इस समय स्कूल लगाने की बात कहने पर अभिभावकों में तथा स्कूल प्रबंधन में वाद-विवाद की स्थिती बन गई है,वहीं सभी स्कूलों की एक ही समय छुटटी होने पर नगर के मुख्य सडक़ के साथ ही आंतकिर सडकों पर एक साथ लगभग दस हजार छात्रों की आवाजाही बढने से छात्रों में दुर्घटना होने की संभावना बनने लगी है।

अभिभावकों ने बताई अपनी परेशानी

नगर के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों अभिभावकों ने इस निर्णय के विरोध में आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बताया कि स्कूल टाइमिंग में किए गए परिवर्तन के कारण मजदूर वर्ग,निजी,शासकीय नौकरी एवं व्यापारियों को भी अपने-अपने बच्चों को स्कूल से घर लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रहीं है। इसके साथ ही छात्रों की पढाई तथा इनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पडने की बात बताते हुए सभी स्कूलों का पूर्ववत समय ही रखने के मांग को एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन भी सौपा ।

बात नहीं बनी तो हो सकता है बडा आंदोलन

जानकारों को मानना है कि चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने उनके भारी भरकम ट्रकों को बेलगाम होकर नगर के सडक़ों पर दौड़ाने के लिए स्कूल टाइमिंग में जबरन किए जा रहे इस परिवर्तन का यदि जल्दी ही पटाक्षेप नहीं

जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन अपर कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

नव भारत न्यूज

पांढुरना,18 अगस्त, जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न समस्याओं से संबंधित 10 आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर ने जनसुनवाई में उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला भाषी में स्थानांतरण आदेश के बावजूद संबंधित शिक्षिका द्वारा शाला में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने का मामला सामने आया। इसी प्रकार ग्राम तिगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। राजस्व संबंधी मामलों में प्लाट के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य से जुड़े राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, लंबित प्रकरण के निराकरण, धारणा अधिकार के तहत स्थायी पट्टा प्रदान करने तथा स्वामित्व निर्धारण प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। खेत के सीमांकन एवं अवैध कब्जे के प्रयास से संबंधित शिकायत भी नागरिक द्वारा प्रस्तुत की गई।

इसके अलावा प्रसूति के बाद मातृ योजना का लाभ नहीं मिलने, पुत्र के नाम से राशन उपलब्ध नहीं होने, प्राथमिक शिक्षक को ग्राम की पदस्थ शाला से अन्यत्र स्थानांतरित करने सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। नगर के शासकीय हिंदी प्राथमिक विद्यालय में सांदीपनी विद्यालय की कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रारंभ करने एवं बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास संचालित करने की मांग भी रखी गई। शाला भवन की छत की मरम्मत कराने संबंधी आवेदन भी जनसुनवाई में प्राप्त हुआ। अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवेदकों की समस्याओं का नियमानुसार एवं समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

नवभारत न्यूज़

सौंसर 18 अगस्त. आज स्काईलाइन स्कूल, जाम,सौंसर परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 'कानूनी साक्षरता' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय न्यायालय के जज सचिन जैन,सिविल

कोर्ट, सदर उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों, कानूनी कर्तव्यों और समाज में कानून के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यशाला के अंतिम चरण में एक प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने सवाल पूछे और माननीय जज ने उनकी उत्सुकता एवं शंकाओं का समाधान किया।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती रश्मि पाणिग्रहि ने म जज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकगण, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सौंसर में बुनकर समाज भवन का निर्माण होगा

सांसद और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दी सहमति

नवभारत न्यूज़

सौंसर 18 अगस्त. नगर में बुनकर समाज भवन के निर्माण को लेकर मंडल भाजपा अध्यक्ष दर्शन झाडे ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू से निवेदन किया गया ।जिस पर त्वरित अपनी सहमति प्रदान कर दी गई। मंडल अध्यक्ष दर्शन प्रभाकर झाड़े ने बताया

कि बुनकर समाज के जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों द्वारा लंबे समय से इस मांग को रखा जा रहा था। समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए सौंसर नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बुनकर समाज भवन का निर्माण कराया जाएगा ।इस महत्वपूर्ण मांग पर सहमति देने के लिए मंडल अध्यक्ष एवं बुनकर समाज की ओर से सांसद का आभार व्यक्त किया गया ।बुनकर समाज भवन बनने से समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी।

एसडीएम के आदेश पर लगी रोक

रामाकोना पंचायत विवाद : हाईकोर्ट से स्थानापन्न सरपंच ज्योति खंडाइत को बड़ी राहत,

नवभारत न्यूज

सौसर 18 अगस्त - सौसर विकास खंड अंतर्गत आने वाली बहुचर्चित ग्राम पंचायत रामाकोना में सरपंच पद को लेकर चल रही सियासी और प्रशासनिक खींचतान में एक नया और अहम मोड़ आ गया है। उच्च न्यायालय, जबलपुर ने सौसर एसडीएम द्वारा 31 जुलाई को जारी उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक (स्ह्लड्ड4) लगा दी है, जिसके जरिए स्थानापन्न सरपंच के चुनाव को स्वत: शून्य घोषित किया गया था।

बिना नोटिस दिए आदेश जारी करने पर अदालत सख्त -

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता ज्योति खंडाइत द्वारा दायर रिट याचिका (क्रमांक 33317/2026) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह सहयोगी अधिवक्ता जयदीप कौरव एवं अनिकेत तिवारी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 29 जून 2026 को विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराकर याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत रामाकोना का स्थानापन्न सरपंच निर्वाचित किया गया था और निर्वाचन प्रमाणपत्र भी सौंपा गया था। इसके ठीक एक माह बाद 31 जुलाई को प्रशासन ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए और बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत सुनवाई का अवसर दिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया और प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया।

राज्य शासन की दलील-

शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता विनीत सिंह ने तर्क दिया कि पूर्व सरपंच को पद से हटाने की कार्यवाही अभी विचाराधीन थी और उस पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में सरपंच पद तकनीकी रूप से रिक्त न होने के कारण स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति प्रक्रिया वैध नहीं मानी जा सकती थी।

चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि नियुक्ति के एक माह बाद बिना किसी पूर्व नोटिस के आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई 2026 के आक्षेपित आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मामले को विचारार्थ चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।

आनंदधाम क्र . 3 सवरनी द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान का शुभारंभ

500 महिला-पुरुषों ने ली नशा न करने की शपथ, निकली बाइक रैली

सौंसर 18 अगस्त . आनंदधाम क्र . 3 सवरनी द्वारा आज ग्राम सवरनी से व्यसन मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान में 500 से अधिक महिला-पुरुष शामिल हुए ।बाइक रैली के साथ दी जागरूकता अभियान के तहत भव्य मोटर साइकिल रैली निकाली गई। रैली सवरनी से होते हुए पारडसिंगा, तीनखेड़ा, साईंखेड़ा, जामसांवली, खांडसिवनी होते हुए सौंसर में संपन्न हुई। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।

नशा छोड़ने वाले परिवारों से की मुलाकात : आनंदधाम क्र . 3 सवरनी के अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश के मार्गदर्शक नंदकिशोर तांडेकर ने बताया कि अभियान के तहत उन लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना गया जिन्होंने नशा छोड़ दिया है।

उनके परिवार की आर्थिक उन्नति की जानकारी भी ली गई। रैली में शामिल सभी लोगों ने एक स्वर में नशा न करने का संकल्प लिया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं Shweta Baghrecha निवासी station road, santoshi mata mandir जिला छिन्दवाड़ा निवासी हूं शादी के पहले मेरा नाम sweta jain (स्वेता जैन) था एवं मेरे पुराने पासपोर्ट में भी मेरा नाम sweta jain (स्वेता जैन) था अत: शादी के बाद मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक में मेरा नाम Shweta Baghrecha (श्वेता बाघरेचा) है यह दोनों ही नाम मेरे ही है अत: अब से मुझे Shweta Baghrecha (श्वेता बाघरेचा) के नाम से जाना व पहचाना लिखा व पढ़ा जावेगा

शपथकर्ता
Shweta Baghrecha
निवासी station road,
santoshi mata mandir
जिला छिन्दवाड़ा